न्यायालय- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट

परिवाद संख्या-556/2019

C.N.R. NUMBER- UPCH040072792019

J.O.CODE-UP2122

रामकृपाल उम्र 60 वर्ष पुत्र श्रीवा कुम्हार,
निवासी-ग्राम-कौंहारी, थाना-पहाड़ी, जिला-चित्रकूट।

.....परिवादी।

बनाम

1. बृजमोहन उम्र 62 वर्ष | पुत्रगण रामधनी अहीर
2. बृजभूषण उम्र 60 वर्ष |
3. रामप्रकाश उम्र 22 वर्ष पुत्र बृजमोहन अहीर
4. अरविन्द उम्र 20 वर्ष पुत्र बृजभूषण अहीर

निवासीगण-ग्राम-कौंहारी, थाना-पहाड़ी, जिला-चित्रकूट।

.....अभियुक्तगण।

थाना-रैपुरा, जिला-चित्रकूट।

24.01.2020-

आज पत्रावली वास्ते आदेश नियत है।

परिवादी रामकृपाल द्वारा अभियुक्तगण बृजमोहन, बृजभूषण, रामप्रकाश व अरविन्द के विरूध्द थाना-पहाड़ी, जिला-चित्रकूट परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में परिवादी का कथन है कि दिनांक-25.08.2018 को परिवादी दोपहर 12 बजे वह अपनी पत्नी, बहू व लड़को के साथ ट्रैक्टर से जुताई कराकर खेत का खर पतवार साफ करा रहा था। उसी समय गाँव के बृजभूषण, बृजमोहन, रामप्रकाश व अरविन्द लाठी-डण्डा लेकर आ गये और परिवादी को माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गालियाँ दिये और कहे कि वह खेत उनका है। सभी अभियुक्तगण ने परिवादी तथा उसकी पत्नी की बेजईती करकर थप्पड़ व लात-घूसों से मारा-पीटा। परिवादी की पत्नी, लड़का व बहू बचाने आये तो उन्हें भी गाली दिये और मारे पीटे जिससे उनको गम्भीर चोटें आ गई। बृजमोहन के कहने पर उसके लड़के ने परिवादी का हाथ बांधकर ट्रैक्टर के नीचे दबाकर जान से मारने के लिये ले जाने लगा। परिवादी का लड़का, बहू तथा पत्नी द्वारा पैर पकड़कर विनती करने पर धमकी देकर छोड़ दिया कि दोबारा खेत में दिखाई देने पर जान से मार देने की धमकी दिये। परिवादी ने पुलिस थाना पहाड़ी को सूचना दिया पुलिस आई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट को भी सूचना देने पर कोई कार्यवाही नहीं

हुई। परिवादी ने पुनः कथन किया है कि अभियुक्तगण फर्जी सिविल मुकदमा चलने के आड़ में परिवादी की पट्टे की भूमि को हड़पना चाहते हैं।

परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा-200 द.प्र.सं. तथा पी.डब्लू.-1 रमपतिया एवं पी.डब्लू.-2 कविता का बयान अन्तर्गत धारा 202 द.प्र.सं. दर्ज कराया गया है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में परिवादी रामकृपाल का कथन है कि अभियुक्तगण बृजमोहन , बृजभूषण, रामप्रकाश व अरविन्द ने परिवादी, उसकी पत्नी, लड़के तथा बहू को अपना खेत साफ करने से मना किये और उन्हें भद्दी-भद्दी गालियाँ दिये तथा लात-घूसो, थप्पडों, लाठी-डण्डे से मारे-पीटे हैं। बृजमोहन का लड़का परिवादी का हाथ बाँधकर ट्रैक्टर के नीचे दबाने के लिये ले जा रहा था। परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-200 द.प्र.सं. में परिवाद के उक्त कथनों का समर्थन किया है परन्तु ट्रैक्टर के नीचे हाथ दबाने का कोई कथन नहीं किया है। पी.डब्लू.-1 रमपतिया व पी.डब्लू.-2 कविता ने भी अपने बयान अन्तर्गत धारा-202 द.प्र.सं. में परिवाद में वर्णित कथनों का समर्थन किया है। परिवादी की ओर से किसी गम्भीर चोट के संबंध में चिकित्सीय रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवाद में वर्णित तथ्यों तथा साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तगण बृजमोहन, बृजभूषण, रामप्रकाश व अरविन्द के विरूध्द प्रथम दृष्टया धारा-323, 504, 506 भा.द.सं. का अपराध बनता है और वें उपरोक्त अपराध के लिये समन किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण बृजमोहन, बृजभूषण, रामप्रकाश व अरविन्द को धारा.323ए 504 व 506ए भाण्दण्संण, थाना-पहाड़ी, जिला-चित्रकूट वास्ते विचारण समन किया जाता हैं। परिवादी के द्वारा अन्दर सप्ताह समन शुल्क तथा साक्षियों की सूची दाखिल की जाये। तत्पश्चात अभियुक्तगण के विरूध्द समन जारी किया जाये। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक-18.03.2020 को पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट।